भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 615
उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता दर

615. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भौगोलिक अलगाव, गरीबी और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करने वाली आदिवासी महिलाओं के बीच कम साक्षरता दर का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) महिला केंद्रित साक्षरता अभियान, आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति या वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान जैसे लक्षित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग आंकड़ों सहित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की साक्षरता दर संबंधी कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल तथा उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच जीईआर बढ़ाने के लिए, विशेषरूप से सूदूर और वंचित क्षेत्रों में कोई विशेष पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) तथा (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय महिलाओं के बीच कम साक्षरता और कम शिक्षा दर को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की सभी योजनाओं का जनजातीय महिलाओं के विकास पर मुख्यत: ध्यान केन्द्रित रहा है। पीवीटीजी, छात्रवृत्ति, ईएमआरएस, तीनों इन समुदायों से कम साक्षरता को दूर करने के लिए जनजातीय बालिकाओं पर जोर देते हैं।

(i) पीवीटीजी और पीएम जनमन: जनजातीय आबादी में कुछ ऐसे समूह हैं जिनके सदस्यों की संख्या में गिरावट आ रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर कम है, कृषि-पूर्व तकनीक का स्तर है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह आम तौर पर दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और उनके पास बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सहायता अपर्याप्त है। 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है और उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि पीवीटीजी समुदायों को केंद्र सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण विभागों की सभी योजनाओं में सहायता दी जा रही है, ऐसे समुदायों के लिए 1998-99 में एक समर्पित योजना शुरू की गई थी। यह विशेष रूप से पीवीटीजी के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।

सरकार ने हाल ही में लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है। पीएम-जनमन इस उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से कैप्चर (एकत्रित) किए गए मौजूदा अंतरों के आधार पर सभी पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों / पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करने के लिए 11 महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ii) ईएमआरएस: जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले (जनगणना 2011 के अनुसार) प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत (अपग्रेड) किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज तक, 718 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से देशभर में 476 ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना है, जिससे लगभग 1.36 लाख छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन कर रही है।

(iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय का **छात्रवृत्ति प्रभाग** देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चल रही योजनाओं को क्रियान्वित करता है: -

i. अनुसूचित जनजाति के छात्रों (कक्षा IX और X) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। आवेदन आमंत्रित करना, आवेदनों का प्रसंस्करण/सत्यापन और छात्रवृत्ति का वितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है।

ii. अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा ग्यारह और उससे ऊपर) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजना। आवेदन आमंत्रित करना, आवेदनों का प्रसंस्करण/सत्यापन और छात्रवृत्ति का वितरण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की जिम्मेदारी है।

iii. अजजा छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)

iv. अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)। यह भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसकी दो उप-योजनाएँ हैं (क) अजजा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएँ। यह शीर्ष श्रेणी के संस्थानों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए प्रदान की जाती है (ख) यह मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद भारत में एम.फिल या पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए है।

v. अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति। यह भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत अजजा छात्रों को विदेश में शीर्ष 1000 रैंक वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

(iv) एनजीओ: जनजातीय कार्य मंत्रालय "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता" की योजना को लागू कर रहा है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने, प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत अनुशंसित किए जाने के बाद अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना के अंतर्गत, कम साक्षरता वाले जिलों जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या उससे अधिक है तथा नवीनतम जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम है, में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) जी हां, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों और महिलाओं के लिए साक्षरता के आंकड़े राज्य-वार निम्नानुसार हैं:

समस्त जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर और अंतर: जनगणना 2011

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति			पुरुष			महिला		
		सभी	अनुसूचित जनजाति	अंतर	सभी	अनुसूचित जनजाति	अंतर	सभी	अनुसूचित जनजाति	अंतर
	भारत	**73**	**59**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.2**
1	जम्मू एवं कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80	-0.4	82.8	83.1	-0.3	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.3	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	-0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	-1.2	66.3	65.1	1.2

15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन और दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादरा एवं नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

नोट: 2011 तक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है।

(घ): शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई प्लस 2023-24 के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल तथा उच्च शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जनजातियों का वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) नीचे दिया गया है:-

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), 2023-24: अनुसूचित जनजाति (अजजा)

भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) - अनुसूचित जनजाति (अजजा)														
	प्राथमिक (1 से 5)			उच्च प्राथमिक (6 से 8)			एलीमेंट्री (1 से 8)			माध्यमिक (9-10)			उच्च माध्यमिक (11-12)		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
भारत	98.0	98.6	98.3	94.8	95.6	95.2	96.8	97.4	97.1	75.4	78.5	76.9	46.0	51.4	48.7
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	86.3	94.4	90.0	95.7	108.0	101.3	89.8	99.5	94.3	77.7	90.5	83.7	65.3	86.3	75.2
आंध्र प्रदेश	116.0	121.2	118.5	112.5	115.1	113.7	114.7	119.0	116.8	96.0	97.2	96.6	66.1	72.0	69.0
अरुणाचल प्रदेश	109.3	112.8	111.0	83.8	91.0	87.4	98.9	103.7	101.2	65.6	69.5	67.5	48.7	53.2	51.0
असम	117.9	124.3	121.0	99.7	104.7	102.1	110.7	116.4	113.5	92.5	96.8	94.7	53.7	53.0	53.3
बिहार	127.5	123.9	125.8	95.3	96.8	96.0	115.5	113.6	114.6	57.1	60.9	59.0	45.9	48.9	47.4
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	87.7	88.2	87.9	87.0	87.7	87.4	87.5	88.0	87.7	63.4	72.4	67.8	39.8	53.4	46.6
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	65.9	71.4	68.5	64.0	68.6	66.2	65.1	70.3	67.6	66.0	76.1	70.7	25.6	34.9	29.9
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा	62.7	68.6	65.5	66.0	71.0	68.4	64.0	69.5	66.6	60.9	71.6	65.9	63.2	72.1	67.6
गुजरात	81.7	80.9	81.3	95.8	94.8	95.3	86.8	85.9	86.4	76.9	75.9	76.4	36.2	46.8	41.3
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	97.8	100.8	99.2	99.4	100.9	100.1	98.4	100.8	99.6	98.8	97.6	98.2	79.6	80.8	80.2
जम्मू और कश्मीर	142.6	136.4	139.5	84.2	86.6	85.3	117.0	115.6	116.3	65.4	62.3	64.0	32.1	28.8	30.6
झारखंड	99.1	101.6	100.3	82.3	84.8	83.6	92.8	95.1	93.9	55.1	60.2	57.7	32.4	37.2	34.8

कर्नाटक	105.2	106.0	105.6	105.3	103.5	104.4	105.3	105.0	105.2	96.0	98.3	97.2	47.0	58.0	52.2
केरल	88.7	91.7	90.2	94.9	92.1	93.5	91.1	91.8	91.5	103.4	95.7	99.6	89.9	100.7	95.2
लद्दाख	71.3	76.5	73.8	55.2	67.0	60.7	65.0	72.9	68.7	55.6	66.3	60.8	29.5	36.4	32.8
लक्षद्वीप	72.4	74.0	73.1	59.5	60.3	60.0	67.6	68.3	67.9	52.8	55.7	54.2	55.1	48.2	51.5
मध्य प्रदेश	80.9	79.4	80.2	87.8	83.2	85.5	83.2	80.7	82.0	56.1	56.3	56.2	30.9	35.0	32.9
महाराष्ट्र	101.0	104.7	102.8	96.9	100.6	98.6	99.4	103.2	101.2	90.7	91.5	91.1	54.7	54.4	54.6
मणिपुर	124.0	131.5	127.5	66.2	72.1	69.0	99.5	106.2	102.7	50.9	57.0	53.8	29.7	32.6	31.2
मेघालय	182.1	185.7	183.9	106.8	127.7	117.1	152.0	162.2	157.0	73.0	98.0	85.4	31.9	47.4	39.6
मिजोरम	154.4	155.5	154.9	113.4	117.7	115.5	137.9	140.2	139.0	94.9	105.8	100.2	50.8	58.6	54.7
नागालैंड	85.7	89.5	87.5	66.4	72.9	69.5	77.6	82.6	80.0	54.8	64.1	59.3	36.6	43.4	40.0
ओडिशा	93.6	92.1	92.8	107.6	107.4	107.5	98.5	97.4	98.0	84.6	89.6	87.1	52.0	58.7	55.3
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	97.8	98.1	97.9	98.3	97.1	97.7	98.0	97.7	97.9	80.3	79.4	79.8	59.1	57.8	58.5
सिक्किम	101.3	92.7	97.1	76.6	79.1	77.8	90.5	86.7	88.6	72.9	78.8	75.8	56.1	68.1	62.1
तमिलनाडु	110.7	112.6	111.6	116.2	115.4	115.8	112.7	113.6	113.1	97.3	103.3	100.1	69.2	85.6	77.0
तेलंगाना	97.8	96.6	97.2	98.1	97.9	98.0	97.9	97.1	97.5	82.6	85.0	83.8	70.7	79.3	74.8
त्रिपुरा	119.5	123.3	121.3	91.9	95.4	93.6	107.9	111.5	109.6	69.0	76.5	72.6	47.7	56.7	52.0
उत्तर प्रदेश	128.6	125.3	127.0	134.9	134.5	134.7	130.7	128.4	129.6	136.5	134.8	135.7	134.5	131.6	133.1
उत्तराखंड	87.5	92.9	90.0	77.2	79.9	78.5	83.2	87.5	85.2	73.4	75.3	74.3	60.1	64.5	62.2
पश्चिम बंगाल	109.0	110.1	109.6	104.7	106.8	105.8	107.4	108.9	108.1	100.1	108.1	104.0	49.8	63.8	56.7

स्रोत: यूडीआईएसई+2023-24

****